न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 22(3) कॉलोनाईजेशन एक्ट का प्रकरण संख्या 21/2025
(जीसीएमएस 2025/25)

1. **राजाराम** पुत्र भंवर लाल जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **हंसराज** पुत्र भंवर लाल जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. **घड़सीराम** पुत्र लिक्ष्मण राम जाति नायक निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **खुशी मोहम्मद** पुत्र युनुस अली जाति मुसलमान निवासी 9 एसडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धारा 22(3) कॉलोनाईजेशन एक्ट का प्रकरण संख्या 22/2025
(जीसीएमएस 2025/26)

1. **राजाराम** पुत्र भंवर लाल जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **हंसराज** पुत्र भंवर लाल जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. **घड़सीराम** पुत्र लिक्ष्मण राम जाति नायक निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **खुशी मोहम्मद** पुत्र युनुस अली जाति मुसलमान निवासी 9 एसडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़**

दिनांक : 02.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि स्माल पेच के तहत 5 बीघा कमाण्ड एवं 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि एवं मीडियम पेच के तहत 10 बीघा कमाण्ड एवं 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत स्माल पेच एवं मीडियम पेच के तहत भूमि आवंटन करने से पूर्व 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है और उक्त जारी नोटिस को आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसील एवं सम्बन्धित गांव के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाता है और चिपते हुए काश्तकार को भूमि आवंटित की जा सकती है।

प्रकरण संख्या 21/2025

अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 14(1) राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.) 1975 के तहत बिना दिनांक का स्माल पेच के तहत चक 1 एचडब्ल्यूडी के प.नं. 214/59 के कि.नं. 4/2, 5/3, 6, 7/3,13/3, 14 ता 18, 19/3, 21/4, 22/1, 23/1, 24/1 व 25/1 की कुल 3.114 है. कृषि भूमि को आवंटन किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने दिनांक 09.11.2023 को मार्क कर तहसील, सूरतगढ़ को रिपोर्ट हेतु भिजवाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, सूरतगढ़ ने जांच प्रतिवदेन पटवारी हल्का जयसिंह की दिनांक 20.11.2023 की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रकरण को दिनांक 05.12.2023 को दर्ज रजिस्टर कर आवंटन नियमों की पालना में सार्वजनिक सूचना जारी करने का आदेश पारित किया और दिनांक 12.12.2023 को सूचना पत्र की चस्पांदगी की सूचना तहसील कार्यालय पंचायत समिति तथा पटवार घर हरदासवाली से प्राप्त कर, दिनांक 15.12.2023 को एकपक्षीय [illegible] विरूद्ध, विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना न [illegible] 2.2023 पारित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तावित मीडियम पेच की कृषि भूमि चक 1 एचडब्ल्यूडी के प.नं. 214 / 59 की 25.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि थी जिसे दुर्भि संधि कर सड़क मार्ग का आदेश दिनांक 31.10.2023 को पारित दो भागों में विभक्त किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटन करने हेतु बिना दिनांक का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 09.11.2023 को जांच कर प्रतिवेदन तलब किया । हल्का पटवारी, पीठासीन अधिकारी एवं प्रार्थी तीनों की दुर्भिसंधि से बिना दिनांक की रिपोर्ट प्रेषित की। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी द्वारा एक ही दिन में रिपोर्ट कर, मुरब्बा पं.नं. 214 / 59 को दो भागों में विभक्त कर प्रेषित की है। विधि अनुसार मीडियम पेच में आवंटन दो टुकड़ों में नहीं किया जा सकता।

<u>**प्रकरण संख्या 22 / 2025**</u>

अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 14(1) रजास्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.) 1975 के तहत बिना दिनांक का स्माल पेच के तहत चक 1 एचडब्ल्यूडी के प.नं. 214 / 59 के कि.नं. 1 ता 3, 4 / 3, 5 / 2, 7 / 2, 8 / 2, 9 ता 12, 13 / 2, 19 / 2, 20, 21 / 5 की कुल 2.820 है. कृषि भूमि को आवंटन किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने दिनांक 09.11.2023 को मार्क कर तहसील, सूरतगढ़ को रिपोर्ट हेतु भिजवाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, सूरतगढ़ ने जांच प्रतिवदेन पटवारी हल्का जयसिंह की दिनांक 20.11.2023 की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रकरण को दिनांक 05.12.2023 को दर्ज रजिस्टर कर आवंटन नियमों की पालना में सार्वजनिक सूचना जारी करने का आदेश पारित किया और दिनांक 11.12.2023 को सूचना पत्र की चस्पांदगी की सूचना तहसील कार्यालय पंचायत समिति [illegible] घर हरदासवाली से प्राप्त कर उसी रोज एकपक्षीय रूप से विधि विरू[illegible] विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना न कर आवंटन आदेश दिनांक 11.12.2023 पारित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तावित मीडियम पेच की कृषि भूमि चक 1 एचडब्ल्यूडी के प.नं. 214/59 की 25.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि थी जिसे दुर्भि संधि कर सड़क मार्ग का आदेश दिनांक 31.10.2023 को पारित दो भागों में विभक्त किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटन करने हेतु बिना दिनांक का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 09.11.2023 को जांच कर प्रतिवेदन तलब किया । हल्का पटवारी, पीठासीन अधिकारी एवं प्रार्थी तीनों की दुर्भिसंधि से बिना दिनांक की रिपोर्ट प्रेषित की। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी द्वारा एक दिन की रिपोर्ट में एक मुरब्बा पं.नं. 214/59 को दो भागों में विभक्त कर प्रेषित की है। विधि अनुसार मीडियम पेच में आवंटन दो टुकड़ों में नहीं किया जा सकता।

उनका आगे यह भी कथन है कि विवादित आदेश दिनांक 11.12.2023 एवं 15.12.2023 से पूर्व आवंटन नियमों की पालना नहीं की। आवंटन प्रकरण को दिनांक 05.12.2023 को सार्वजनिक सूचना के निर्देशों के साथ दर्ज किया, जिसकी सूचना विधिवत् नहीं हुई। प्रथमतः तहसील कार्यालय के सूचना पत्र को हल्का पटवारी (जयसिंह) द्वारा ही चस्पा किया गया जिस पर किसी स्वतंत्र गवाहान के नाम, पता एवं हस्ताक्षर नहीं है और ना ही सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार सूरतगढ़) द्वारा ही सत्यापित हैं । द्वितीयक सार्वजनिक सूचना पत्र विवादित है क्योंकि तहसील, सूरतगढ़ के कर्यालय बोर्ड पर चस्पा किया तत्पश्चात् से पंचायत समिति भवन बोर्ड पर चस्पा का अंकन किया गया है। जिस पर गवाहान के लघु हस्ताक्षर बिना नाम व पता के की गई है, जो कि विधि अनुसार मान्य नहीं है। तृतीयक सार्वजनिक सूचना पत्र की वैधानिकता की बिना जांच किये पारित आक्षेपित आदेश निरस्ती योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि आवंटन अधिकारी ने आवंटन से पूर्व आवंटन नियमों की पालना नहीं की। आवेदन खुशी मोहम्मद की आवंटन की पात्रता एवं योग्यता की जांच नहीं की। वरियता में नजदीकी एवं चिपते काश्तकार को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया जबकि नियमो के अनुसार आवंटन सूचना पत्र एवं प्रकाशन में प्रारूप–।। के अन्तर्गत 30 दिवस का अन्तर होना चाहिए। 30 दिवस उपरान्त आवेदन पत्र/पत्रों की जांच इत्यादि कर आवंटन किया जा सकता था, जबकि आवंटन की समस्त कार्यवाही को लुका–छिपा कर 10 दिवस में ही अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्यों से किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 1 एचडब्ल्यूडी के पं.नं. 214/51 एवं 234/2 में प्रस्तावित मीडियम पेच के चिपते कृषि भूमि खातेदारी है। विधि अनुसार उसी मुरब्बा के चिपते काश्तकार नहीं हाने पर समीपस्त मुरब्बा के काश्तकार पात्र होगें। इस प्रकार यदि आवंटन से पूर्व सूचना पत्र समीपस्थ काश्तकारों को दिये होते तथा सार्वजनिक सूचना पत्र पूर्णतया उचित रूप से प्रकाशन किया होता तो प्रार्थीगण भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करते। जिससे नियमानुसार उचित बन्द बोली की जाती जिससे राज्य सरकार को आर्थिक लाभ भी होता। अप्रार्थी संख्या 1 की मात्र कृषि भूमि पं.नं. 234/2 के कि.नं. 22/2 की 0.025 है. कृषि भूमि है, जो प्रस्तावित आवंटित भूमि के समीपस्थ नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तावित कृषि भूमि पं.नं. 214/59 के चिपते 214/58, 214/60, 234/3 व पं.नं. 234/4 की कृषि भूमि शुद्ध रकबा राज दर्ज है, जिसे भविष्य में सार्वजनिक उपयोग हेतु आज तक आरक्षित रखा गया था ताकि भविष्य में विकास किया जा सके। इसलिए आवंटन आदेश दिनांक 11.12.2023 एवं 15.12.2023 को [illegible] फरमाया जाकर पुनः आवंटन कार्यवाही हेतु प्रकरण आवंटन अधिकारी को [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 21 / 2025

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि चक 1 एचडब्ल्यूडी पत्थर नम्बर 214 / 59 किला नम्बर 4 / 2, 5 / 3, 6, 7 / 3, 13 / 3, 14 ता 18, 19 / 3, 21 / 4, 22 / 1, 23 / 1, 24 / 1, 25 / 1 की कुल 3.114 है. कृषि भूमि आवंटन करने के लिए आवेदन किया था, जिसमें दिनांक 20.11.2023 की रिपोर्ट पेश की गयी और दिनांक 05.12.2023 को उक्त प्रकरण में नोटिस जारी किये गये। सभी पक्षों को औपचारिकता पूरी करके दिनांक 15.12.2023 को अप्रार्थी को मीडियम पेच में यह रकबा आवंटन किया गया है जो विधि सम्मत है।

प्रकरण संख्या 22 / 2025

उनका आगे यह भी कथन है कि चक 1 एचडब्ल्यूडी पत्थर नम्बर 214 / 59 किला नम्बर 1 ता 3, 4 / 3, 5 / 2, 7 / 2, 8 / 2, 9 ता 12, 13 / 2, 19 / 2, 20, 21 / 5 कुल 2.820 है. कृषि भूमि को आवंटन करने के लिए आवेदन पत्र दिया था, जिसमें दिनांक 20.11.2023 को रिपोर्ट पेश की गई और दिनांक 05.12.2023 को उक्त प्रकरण में नोटिस जारी किये गये। सभी पक्षों की औपचारिकता पूरी करके दिनांक 11.12.2023 को अप्रार्थी को मीडियम पेच में यह रकबा आवंटन किया गया है, जो विधिसम्मत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा खुशी मोहम्मद को जो भूमि आवंटित की गई है वह दो भागों थी, इसलिए दोनों हिस्सों की जांच करके अलग अलग रूप से भूमि आवंटन की गयी है। मीडियम पेच में बाजार भाव से भूमि दिये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी द्वारा पूर्ण बाजार भाव देकर भूमि आवंटन करवायी गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] की यदि आवंटन से किसी प्रकार का एतराज था तो आवंटन अधिकारी के खिलाफ अपील पेश की जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में एक अपील भी [illegible] अपील अधिकारी के समक्ष इसी विवादित आदेश के खिलाफ पेश की गई है। यह अपील में इसी आदेश को चुनौती दी गयी है तो शिकायत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 214/51 व 234/2 के चिपती कृषि भूमि खातेदारी है, उनको नोटिस नहीं दिया जबकि यह भूमि शिकायतकर्ता के साथ कोई चिपती नहीं है। अगर किसी काश्तकार का रकबा चिपता है तो उसी को अपील पेश करने या शिकायत करने का अधिकार है। प्रार्थी को दूसरों के बारे में कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा भूमि ऑक्शन पर बाजार भाव पर ली गई है, कोई ग्रान्ट नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये शिकायती प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि मीडियम पेच में पुराने कब्जे के आधार पर व अपने रकबा के अन्दर होने के आधार पर अतिचारी के रूप आई.जी.एन.पी. अलॉटमैंट नियम 14(बी) के तहत आवंटित की गयी है और विधिसम्मत की गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि इसी आदेश को राजस्व अपील अधिकारी में चैलेंज कर रखा है तो राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़ में उक्त पत्रावली विचाराधीन है। जब हायर कोर्ट में इस आदेश की अपील विचाराधीन हो तो अदालतवाला शिकायत में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये शिकायती प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के खिलाफ सिविल कोर्ट में अन्य पक्षकार द्वारा कार्यवाही की गयी है, जिसमें सिविल कोर्ट से 01.04.2025 को प्रकरण संख्या 19/2025 कुतुबदीन बनाम खुशी मोहम्मद में स्थगन आदेश है। जब तक सिविल कोर्ट में स्थगन खारिज नहीं होता तब तक इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी को मीडियम पेच में आवंटन हुई है, जिसकी राशि प्रार्थी ने जमा करवा दी है, इंतकाल भी प्रार्थी के नाम दर्ज हो गया है। प्रार्थी भूमि का खातेदार हो चुका है। इसलिए खातेदारी मिलने के बाद 22(3) इंदिरा गांधी आवंटन नियम व 11(14) उपनिवेशन अधिनियम लागू नहीं होते, इसलिए प्रार्थी का शिकायती प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस सुनी और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने प्रकरण संख्या 143/2023 से मीडियम पेच के तहत दिनांक 11.12.2023 को आदेश पारित कर चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 214/59 के कि.नं. 1 ता 3, 4/3, 5/2, 7/2, 8/2, 9 ता 12, 13/2, 19/2, 20, 21/5 में कुल 2.820 हैक्टेयर अनकमाण्ड आराजीराज भूमि राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत आवंटित की गई है तथा आवंटन अधिकारी ने अपने प्रकरण संख्या 142/2023 से मीडियम पेच के तहत दिनांक 15.12.2023 को आदेश पारित कर चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 214/59 के कि.नं. 4/2, 5/3, 6, 7/3, 13/3, 14 ता 18, 19/3, 21/4, 22/1, 23/1, 24/1 तथा 25/1 में कुल 3.114 हैक्टेयर अनकमाण्ड आराजीराज भूमि राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत आवंटित की गई है।

प्रकरण संख्या 22/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने प्रकरण संख्या 143/2023 में अप्रार्थी [illegible] द्वारा राजस्थान नहर परियोजना

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 14(1) के अधीन राजकीय पट्टों के स्थाई आवंटन हेतु स्माल पेच के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उनके द्वारा कोई दिनांक अंकित नहीं की गई है और आवंटन अधिकारी द्वारा मौके व रिकार्ड की जांच कर प्रतिवेदन भिजवाने हेतु हस्ताक्षर में दिनांक 09.11.2023 अंकित है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में धारण भूमि में चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 234/2 के किला नं. 22/2 की 0.025 है. अनकमाण्ड भूमि का उल्लेख है एवं बिन्दु संख्या दो में चिपती हुई उसी मुरब्बे में राजकीय कृषि छोटे टुकडों में चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नं. 214/59 अंकित है तथा शेष विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है और स्थान खाली छोड़ा गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न हलफनामा जो कि नोटेरी से प्रमाणित है, जिस पर दिनांक 04.12.2023 अंकित है।

तत्कालीन पटवारी जयसिंह द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 20.11.2023 को स्मालपेच प्रकरण की रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें उनके द्वारा बिन्दु संख्या 7 –चिपते काश्तकारों द्वारा धारित भूमि के विवरण में खुशी मोहम्मद, प्रेमनाथ एवं लिछमन का नाम अंकित किये गये है। बसन्त सिंह द्वारा का सहमति पत्र (शपथ पत्र) 50/– रूपये के स्माम्प पर उपलब्ध है जबकि प्रेमनाथ का सहमति पत्र (शपथ पत्र) 2/– की कोर्ट फीस पर उपलब्ध है और प्रेमनाथ द्वारा अंगूठा लगाया गया है जिसे नूर मोहम्मद द्वारा पहचान की गई है जबकि पटवारी की रिपोर्ट में बसन्त सिंह के नाम का अंकन नहीं है।

<u>प्रकरण संख्या 21/2025</u>

आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने प्रकरण संख्या 142/2023 में अप्रार्थी [illegible] राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 14(1) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधीन राजकीय पट्टों के स्थाई आवंटन हेतु स्माल पेच के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उनके द्वारा कोई दिनांक अंकित नहीं की गई है और आवंटन अधिकारी द्वारा मौके व रिकार्ड की जांच कर प्रतिवेदन भिजवाने हेतु हस्ताक्षर में दिनांक 09.11.2023 अंकित है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में धारण भूमि में चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 234/2 के किला नं. 22/2 की 0.025 है. अनकमाण्ड भूमि का उल्लेख है एवं बिन्दु संख्या दो में चिपती हुई उसी मुरब्बे में राजकीय कृषि छोटे टुकडों में चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नं. 214/59 अंकित है तथा शेष विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है और स्थान खाली छोड़ा गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न हलफनामा प्रमाणित नहीं है।

तत्कालीन पटवारी जयसिंह द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 20.11.2023 को स्मालपेच प्रकरण की रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें उनके द्वारा बिन्दु संख्या 7 –चिपते काश्तकारों द्वारा धारित भूमि के विवरण में खुशी मोहम्मद, प्रेमनाथ एवं लिछमन का नाम अंकित किये गये है। बसन्त सिंह द्वारा का सहमति पत्र (शपथ पत्र) 50/– रूपये के स्टाम्प पर उपलब्ध है और बसन्त सिंह का चिपते काश्तकारों में नाम अंकित नहीं है और न ही बसन्त सिंह मीडियम पेच के आवंटित रकबे में चिपता काश्तकार है। जबकि प्रेमनाथ का सहमति पत्र(शपथ पत्र) 2/– की कोर्ट फीस पर उपलब्ध है और प्रेमनाथ द्वारा अंगूठा लगाया गया है उस पर पेमाराम नाम अंकित है, जिसकी पहचान गनेश तारनाथ हरदासवाली द्वारा की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की उक्त दोनों पत्रावलियों में उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के नोटिस दिनांक 05.12.2023 को जारी किये गये है तथा दिनांक 12.12.2023 तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने [illegible] किया गया है। एक

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

नोटिस की पुश्त पर जय सिंह, पटवारी द्वारा दिनांक 11.12.2023 को हस्ताक्षर किये कर नोटिस प्राप्त एवं चस्पा किया जाना अंकित किया गया है तथा दूसरा नोटिस पर भी दिनांक 11.12.2023 को पंचायत समिति, सूरतगढ़ बोर्ड पर चस्पा किया जाना अंकित किया गया है।

The Rajasthan Colonisation (Allotment and sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975 के नियम 14, 14ए और 14बी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

14. Allotment of small patch : (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure **tenant whose trnure land adjoins such patch**, subject to the celing area at [half of the index pricie of the reserve price whichever in higher];
[Provided that if the tenant of the **adjoining land fails to apply** for the allotment of small patch, the Allotting Authority shall make arrangement for making allotment of such small patch to the tenure of the same chak or of the adjoining chak]
2. In case **more than one tenants** apply for the allotment of the same small patch, **allotment shall be made to the tenant of same murabba]**

....

14-A. Allotment of medium patch – (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, medium patch of Government land may be allotted **to a tenure tenant whose tenure land adjoins such medium patch, subject to the ceiling area** [Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of the medium patch, **the allotting authority may allot such medium patch to the tenure tenants of the same chak or the adjoining chak subject to the ceiling limit:**

Provided further that if more than one **tenant apply** for the allotment of the same medium patch, the allotment shall be made by sealed bid to the highest bidder subject to the ceiling limit]

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

14-B (1) Notwithstanding anything contained in these rules and subject to the specified or general direction of the Government, the allotting authority instead of ejecting a trespasser from the small and medium patch land occupied by adjacent tenant and allow him to retain possession of the whole or part of such land subject to the extent of the ceiling area applicable to the allottee under the Rajashtna imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973(Rajasthan Act 2 of 1973)

Provided that **such trespasser has been in continuous possession of the trespassed land for five or more year upto 30.06.2004**

The Rajasthan Colonisation (Allotment and sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975 के नियम 14ए के तहत मीडियम पेच के तहत भूमि आवंटित की जा सकती है, जिसके अनुसार किसी काश्तकारी को उसकी चिपती हुई राजकीय का आवंटन सीलिंग सीमा के भीतर, उसी चक के काश्तकारों अथवा उसके चिपते चक के काश्तकारों को सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर किया जा सकता है।

उक्त दोनों प्रकरण अप्रार्थी खुशी मोहम्मद ही है, जिसे मुरब्बा नम्बर 214/59 की लगभग 25 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने अपने दो अलग अलग आदेश दिनांक 11.12.2023 एवं 15.12.2023 को आवंटित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका नक्शा चक 1 एचडब्ल्यूडी के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी खुशी मोहम्मद पुत्र युनस अली साकिन 9 एस.डी. का रकबा नं. 234/2 कि.न. 22/2 में 0.025 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा उक्त नक्शे का अवलोकन किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उक्त मौका नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चक 1 एचडब्ल्यूडी के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अप्रार्थी खुशी मोहम्मद की उक्त भूमि, आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 11.12.2023 एवं 15.12.2023 को आवंटित भूमि से चिपती हुई भूमि नहीं है। आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी खुशी मोहम्मद को आवंटन से पूर्व उसके व उसके परिवार के पास उपलब्ध भूमि का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है और न ही पत्रावली में सीलिंग सीमा के सम्बन्ध में काई दस्तावेज / रिपोर्ट उपलब्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का सारांश :

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज	प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार		विवरण
	अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 143 / 2023	अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 142 / 2023	
प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक	अंकित नहीं	अंकित नहीं	प्रार्थी द्वारा बिना दिनांक अंकित किये प्रार्थना पत्र पेश किया है।
प्रार्थना में अंकित प्रार्थी खुशी मोहम्मद की भूमि	चक 1 एचडब्ल्यूडी के प.नं. 234 / 2 किला नं. 22 / 2 की 0. 025 है. अनकमाण्ड		प्रार्थना में अंकित प्रार्थी खुशी मोहम्मद की भूमि 0.025 है. मीडियम पेच के तहत भूमि प्रस्तावित भूमि के चिपती भूमि नहीं है।
प्रार्थना पत्र में अंकित मीडियम पेच हेतु आवंटित भूमि	प.नं. 214 / 59 के अंकित है, भूमि का पूर्ण विवरण अंकित नहीं है।		आवंटन योग्य प्रस्तावित भूमि का पूर्ण विवरण अंकित होना आवश्यक है।
प्रार्थना पत्र के संलग्न हलफनामा सत्यापित दिनांक	सत्यापित दिनांक 04.12. 2023	सत्यापित नहीं	प्रकरण संख्या 143 / 2023 के हलफनामा सत्यापित होना आवश्यक है, जबकि प्रार्थना पत्र पेश होने के लगभग 25 दिन बाद सत्यापित दिनांक अंकित है एवं प्रकरण संख्या 142 / 2023 में सत्यापित हल्फनामा नहीं है।
चिपती भूमि के काश्तकारों के नाम	खुशी मोहम्मद प्रेम नाथ लिछमन		खुशी मोहम्मद की कृषि भूमि [illegible]स्तावित मीडियम पेच के चिपती [illegible]भूमि नहीं है।
सार्वजनिक सूचना हेतु जारी नोटिस दिनांक 05.12.2023	संबंधित [illegible] 12.12.2023 [illegible] प्रस्तुत करने हेतु अंकित कि[illegible] गया।		[illegible] में भूमि आवंटन हेतु 30 दिवस का नोटिस जारी करना आवश्यक है जबकि आवंटन अधिकारी ने प्रकरण संख्या 143 / 2023 में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

			11.12.2023 को 142/2023 में दिनांक 15.12.2023 को मीडियम पेच के तहत भूमि आवंटित की है।
मौका नक्शा चक 1 एचडब्ल्यूडी	प.नं. 214/59 किला नं. 1 ता 3, 4/3,5/2, 7/2, 8/2, 9 ता 12, 13/2, 19/2, 20, 21/5 की 2.820 है. अनकमाण्ड मीडियम पेच हेतु प्रस्तावित	प.नं. 214/59 किला नं. 4/2, 5/3, 6, 7/3, 13/3, 14 तव 18, 19/3, 21/4, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 की 3.114 है. अनकमाण्ड मीडियम पेच हेतु प्रस्तावित	आवंटन अधिकारी द्वारा पत्थर नम्बर 214/59 की 25 बीघा भूमि में तिरछा रास्ता स्वीकृत कर भूमि को दो भागों में विभाजीत कर मीडियम पेच के तहत आवंटित की गई है जबकि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तिरछा रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है और इस रास्ते में किसी अन्य रिकॉर्डेड रास्ते से मिलान होना भी प्रतीत नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी खुशी मोहम्मद द्वारा बिना दिनांक अंकित किये प्रार्थना पत्र पेश किया है और आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 09.11.2023 को तहसीलदार, सूरतगढ़ से मौके की रिपोर्ट हेतु लिखा गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हलफनामा दिनांक 04.12.2023 को सत्यापित किया जाना अंकित है जबकि अप्रार्थी खुशी मोहम्मद द्वारा दिनांक 09.11.2023(आवंटन अधिकारी द्वारा मार्क) को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा मीडियम पेच के आवंटन से पूर्व अप्रार्थी खुशी मोहम्मद के पास उपलब्ध कुल भूमि का जिक्र नहीं किया गया है और न ही उसके पास उ[illegible] भूमि सीलिंग सीमा से अधिक/कम के सम्बन्ध में रिपोर्ट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Ro-14
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक सूचना का नोटिस विधिक नियमानुसार तामील नहीं हुई है क्योंकि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने दिनांक 05.12.2023 के नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है ज़िसमें दिनांक 12.12.2023 तक प्रार्थना पत्र सूचित किया जाना है और नोटिस पर उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार नोटिस दिनांक 11.12.2023 को पटवार हल्का/पंचायत समिति में चस्पा किये गये है उपखण्ड कार्यालय मे नोटिस चस्पा की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को 30 दिवस का नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जिसकी आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर, अपने न्यायालय के प्रकरण संख्या 143/2023 में दिनांक 11.12.2023 को ही आदेश पारित किया है और प्रकरण संख्या 142/2023 में दिनांक 15.12.2023 को आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका नक्श के अनुसार पत्थर नम्बर 214/58, 214/59, 214/60, 234/3, 234/4 आराजी राज भूमि है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा उक्त पत्थर नम्बर 214/59 को मीडियम पेच के तहत अप्रार्थी खुशी मोहम्मद को आवंटित की गई है। पत्थन नम्बर 214/59 के पश्चिम में लिछमन खातेदार की भूमि है तथा शेष दिशाओं में आराजीराज भूमि है। पश्चिम दक्षिण दिशा में गैर खातेदार भंवरलाल, उत्तर–पूर्व दिशा में प्रेमनाथ खातेदार की भूमि है। अप्रार्थी खुशी मोहम्मद को मीडियम पेच के तहत भूमि आवंटन योग्य नहीं थी जबकि जयसिंह पटवारी द्वारा दिनांक 20.11.2023 को खुशी मोहम्मद, प्रेमनाथ एवं लिछमन को चिपते काश्तकारों की धारित भूमि में दिखाया गया है जबकि खुशी मोहम्मद किसी भी दिशा में चिपता काश्तकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बसन्त और प्रेमनाथ का सहमति पत्र उपलब्ध है जबकि बसन्त सिंह प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:37:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में चिपता काश्तकार नहीं है और न ही पत्रावली में अन्य चिपते काश्तकारों के सहमति पत्र पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायायल में पत्रावली में तहसीलदार, सूरतगढ़ कोई रिपोर्ट पेश न कर, पटवारी हरदासवाली द्वारा प्रस्तुत मूल रिपोर्ट ही आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को प्रेषित की गई है।

अप्रार्थी खुशी मोहम्मद द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पत्र पेश किया है जिसमें उसकी धारण कृषि भूमि से चिपती हुई उसी मुरब्बे में राजकीय कृषि भूमि छोटे टुकडों में उपलब्ध की सूचना अधूरी पेश की है क्योंकि अप्रार्थी खुशी मोहम्मद के पास चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नं. 234/2 के किला नं. 22/2 में 0.025 है. अनकमाण्ड भूमि है, जो कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा जो उसे मीडियम पेच के तहत आवंटित की है, उसके चिपती हुई भूमि नही है।

चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नं. 214/59 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि उपलब्ध थी, जो नियमानुसार स्माल पेच/मीडियम पेच के तहत आवंटित नहीं की जा सकती है इसलिए प्रार्थी ने उक्त पत्थर नं. 214/59 की 25 बीघा भूमि हेतु दो अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश किये है और आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने सर्वप्रथम तिरछा रास्ता दिखाकर/स्वीकृत कर भूमि को दो भागों में विभाजीत कर मीडियम पेच के तहत अपने दो अलग अलग आदेशों से आवंटित की है जबकि **उप शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, राजस्थान, सरकार जयपुर के पत्र दिनांक 07.07.2000 के अनुसार शासन के पत्र क्रमांक एफ3(28)राज/उप/85 दिनांक 15.01.1987 के अनुसार इ.गा.न.प. क्षेत्र के प्रथम चरण में सामान्य आवंटन पर [illegible] के कारण, 25 बीघा भूमि आवंटित नहीं की जा सकती थी।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त विवेचन के अनुसार आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने आवंटन नियमों की अनदेखी कर चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 214/59 के किला नं. 1 ता 3, 4/3, 5/2, 7/2, 8/2, 9 ता 12, 13/2, 19/2, 20, 21/5 में कुल 2.820 हैक्टर एवं चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 214/59 के किला नं. 4/2, 5/3, 6, 7/3, 13/3, 14 ता 18, 19/3, 21/4, 22/1, 23/1, 24/1 तथा 25/1 में कुल 3.114 हैक्टर अनकमाण्ड आराजीराज भूमि को अप्रार्थी खुशी मोहम्मद को राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत आवंटित की है, खारिज कर पुनः रकबा राज दर्ज किये जाने योग्य प्रतीत होती हैं। उक्त भूमि के अतिरिक्त आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा पत्थर नम्बर 214/59 में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत रास्ता भी खारिज कर, पुनः रकबा राज दर्ज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजाराम वगैरहा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने आवंटन नियमों की अनदेखी कर चक चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 214/59 के किला नं. 1 ता 3, 4/3, 5/2, 7/2, 8/2, 9 ता 12, 13/2, 19/2, 20, 21/5 में कुल 2.820 हैक्टर एवं चक 1 एचडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 214/59 के किला नं. 4/2, 5/3, 6, 7/3, 13/3, 14 ता 18, 19/3, 21/4, 22/1, 23/1, 24/1 तथा 25/1 में कुल 3.114 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि मय रास्ता को पुनः रकबा राज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

चूंकि तहसील सूरतगढ़ के पटवार मण्डल हरदासवाली के राजस्व पटवारी जय सिंह, तहसीलदार, सूरतगढ़ एवं आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, सूरतगढ़ ने अप्रार्थी खुशी मोहम्मद के साथ मिलीभगत कर, नियमों की अनदेखी कर अप्रार्थी खुशी मोहम्मद के नाम से लगभग 25 बीघा भूमि मीडियम पेच के तहत आवंटित करवाई जाकर, राज्य सरकार को हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी किये जाने योग्य है। प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा को आदेशित किया जाता है कि उक्त पटवारी, तहसीलदार, सूरतगढ़, उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के विरूद्ध, उक्त प्रकरण से सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई हो तो, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित कार्यवाही को इस प्रकरण से अलग रखा जावे। इस प्रकरण में प्रस्तुत अन्य समस्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है।

आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के 02 दिवस में उक्त समस्त भूमि रकबाराज दर्ज कर, पालना रिपोर्ट से अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित करें। **तहसीलदार, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में यदि भूमि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश से प्रभावित हो तो व्यक्तिशः स्थगन आदेश प्रत्याहारित करवाकर उक्त भूमि को शीघ्र रकबाराज दर्ज कर, अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित करें।** आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा) को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे। प्रत्येक पत्रावली में निर्णय की मूल प्रति रखी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर